

लखनऊ जॉन के अन्तर्गत लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर एवं बाराबंकी में

व्यावसायिक, प्रीमियम भूखण्ड, संस्थागत भूखण्डों एवं दुकानों को
नीलामी से लेने का सुनहरा मौका

‘जहाँ है, जैसी है’ के आधार पर नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियाँ

नीलामी स्थल सहकारिता भवन,
विधानसभा मार्ग, लखनऊ

नीलामी सूचना

नीलामी प्रक्रिया में सील बडि का प्रारूप :-

योजना/शहर का नाम सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल आरक्षित मूल्य
उच्चतम मूल्य आफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं)
टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु0 बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक नाम ..
..... पिता/पति का नाम आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित
प्रमाण-पत्र संलग्न करें) पत्र व्यवहार का पता दूरभाष/ मोबाइल नं0
ई-मेल आईडी0 दिनांक/ स्थल नाम-पिता/पति का
नाम-संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम पूरा पता

घोषणा पत्र का प्रारूप

(आवेदन एवं सील बडि दोनों के साथ नोटरी

द्वारा सत्यापन सहित आवश्यक)

(1) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूँ, सम्पत्ति जहाँ है,
जैसी है, के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ। (2) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अत्यस्क
बच्चों के नाम सम्बन्धित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है। (3) मेरे, मेरे
पति/पत्नी अथवा अत्यस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2010-2011 की समस्त स्रोतों से
आय रु0 से अधिक नहीं है। 4. मुझे उत्तर प्रदेश के आवास एवं विकास परिषद
के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें : 1. आवेदन/सील बडि फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सं0 प्र0
कार्यालय से रु0 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2. सील बडि/ऑफर
अंकित करते हुए रु0 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बडि फार्म कार्यालय से
अथवा उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यावसायिक
सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित
नीलामी से पूर्व (कार्य दिवस दिनांक 01.12.2012) तक सम्बन्धित कार्यालय/जोन
कार्यालय में डक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। 3. आवंटन
हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बडि सम्बन्धित शहर/योजना के लिए
निम्नलिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त
कराया जा सकता है। 4. सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती
है। 5. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन/शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी
विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा किन्तु
जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित
किया जायेगा। 6. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का
पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो उ090 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में
सम्बन्धित शहर को भुगतान हेतु देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र तथा
सील बडि दिनांक 01.12.2012 नीलामी से एक दिन पूर्व) 5:00 बजे तक निम्नलिखित
पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व टोकन
प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7. अपूर्ण एवं शर्तों आवेदन पत्र
स्वीकार नहीं होंगे। 8. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में “जहाँ है, जैसी है” के आधार
पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर
बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 9. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही
नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख उपरान्त किया जायेगा।
10. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध
कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट
www.upavp.com पर Public Notices के अन्तर्गत देखी जा सकती है। 11. समस्त
प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की
स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

नीलामी/सील बडि फार्म प्राप्त/जमा करने के पते निम्नलिखित हैं :- 1.
आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ। 2. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, आफिस-
काम्पलेक्स, निकट भूतनाथ मंदिर, इन्दिरा नगर, लखनऊ। 3. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
सेक्टर-8, विकास नगर, लखनऊ। 4. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, प्रहलादपुरी योजना,
हरदोई। 5. सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, आफिस-काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना,
लखनऊ। 6. राजनगर योजना, लखीमपुर खीरी। 7. संयुक्त आवास आयुक्त कार्यालय,
लखनऊ जोन उ090 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में
केवल जमा किया जा सकता है।

आवास आयुक्त

हमारा प्रयास आपका आवास

नीलामी तिथि **03.12.2012**

नीलामी समय **10:30 बजे**

व्यावसायिक सम्पत्तियों का विवरण

| सम्पत्ति संख्या | क्षेत्रफल व0 मी0 | आरक्षित दर (प्र0व0मी0) | एफ0 ए0 आर0 |
|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------|
|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------|

वृन्दावन योजना

व्यावसायिक भूखण्ड-09 नग

| | | | |
|---------------|---------|----------|------|
| 5C/Com-08 C | 1840.50 | 23408.00 | 1.75 |
| 5C/Com-09 C | 1898.04 | 23408.00 | 1.75 |
| 12-A/CP-02 | 4516.05 | 19040.00 | 1.20 |
| 12-A/CP-03 | 4504.32 | 19040.00 | 1.20 |
| 12-A/CP-04 C | 4957.93 | 20944.00 | 1.20 |
| 12-A/CP-06 | 661.12 | 19040.00 | 1.20 |
| 12-A/CP-08 | 648.82 | 19040.00 | 1.20 |
| 5E-1/Com-01 C | 1121.25 | 23408.00 | 1.20 |
| 5E-1/Com-02 C | 1195.60 | 23408.00 | 1.20 |

संस्थागत भूखण्ड - 05 नग

| | | | |
|------------|---------|----------|-----|
| 2A/INS-1 C | 1297.35 | 17556.00 | 1.5 |
| 2A/INS-2 | 1431.00 | 15960.00 | 1.5 |
| 2A/INS-4 | 1391.75 | 15960.00 | 1.5 |
| 2D/INS-1 | 1350.00 | 15960.00 | 1.5 |
| 14/IN-6 C | 2293.77 | 15708.00 | 2.0 |

प्रीमियम भूखण्ड - 05 नग

| | | | |
|-----------------|--------|----------|-----|
| 5E-1/PH-7 SC | 306.00 | 15960.00 | 1.5 |
| 5E-1/PH-8 OBC | 301.75 | 15960.00 | 1.5 |
| 5E-4/PH-1 C OBC | 451.25 | 17556.00 | 1.5 |
| 5E-4/PH-4 SC | 390.75 | 15960.00 | 1.5 |
| 5E-4/PH-5 C SC | 335.68 | 17556.00 | 1.5 |

आम्रपाली योजना

व्यावसायिक भूखण्ड - 07 नग

| | | | |
|-------------------------|---------|----------|------|
| H-4/Com-5 C अनारक्षित | 558.14 | 20944.00 | 1.20 |
| H-5/Com-1/B C अनारक्षित | 407.00 | 20944.00 | 1.75 |
| E-3/Com-1 C अनारक्षित | 2910.00 | 20944.00 | 1.20 |
| H-1/Com-5 अनारक्षित | 2478.00 | 19040.00 | 1.20 |
| H-1/Com-6 अनारक्षित | 2560.00 | 19040.00 | 1.20 |
| H-1/Com-7 अनारक्षित | 2546.00 | 19040.00 | 1.20 |
| H-1/Com-8 अनारक्षित | 2590.00 | 19040.00 | 1.20 |

प्रीमियम भूखण्ड - 08 नग

| | | | |
|-----------------------|---------|----------|------|
| H-4/PH-7 C अनारक्षित | 887.38 | 15708.00 | 1.20 |
| H-4/PH-8 अनारक्षित | 975.00 | 14280.00 | 1.20 |
| H-4/PH-9 अनारक्षित | 1080.00 | 14280.00 | 1.20 |
| H-4/PH-10 C अनारक्षित | 1209.00 | 15708.00 | 1.20 |
| H-5/PH-5 C अनारक्षित | 980.48 | 15708.00 | 1.20 |
| H-5/PH-6 C अनारक्षित | 980.48 | 15708.00 | 1.20 |

नोट : 1. वृन्दावन योजना में दुर्बल आय वर्ग भवन (जी+2) प्लेटों हेतु दिनांक 19.09.09 से 16.11.09 तक क्लेबे गये पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त पंजीकृत आवेदकों के मध्य पात्रता चयन/नम्बरिके ड्रा लाटरी द्वारा किया जायेगा।

| सम्पत्ति संख्या | क्षेत्रफल | आरक्षित दर (प्र0व0मी0/ अनुमानित मूल्य लाख में) |
|---------------------------------|-------------|---|
| इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ | | |
| दुकानें - 46 नग | | |
| S-2/24,26,27,30,32,33,34,36 | 3.39-25.22 | 2.63-19.35 |
| S-3/31,32,33,34,35,36 | 13.92-21.83 | 8.30-10.97 |
| S-9/11,14,15,16,17,18,19 | 6.60-10.72 | 6.56-11.71 |
| S-10/12,13,14,15,16,17 | 6.45 | 7.13 |
| S-11/11,16 | 21.38 | 26.16 |
| S-18/10,11,12,13,14,15,16,21,22 | 9.32-12.48 | 8.74-11.71 |
| S-19/4,5,7,8,9,10,11,12 | 16.89-24.57 | 13.73-19.96 |

राजाजीपुरम योजना, लखनऊ

| | | |
|-----------------------|------|------|
| चबूतरा, P55/2 (01 नग) | 4.00 | 4.09 |
|-----------------------|------|------|

ओबरी योजना, बाराबंकी

| | | |
|-----------------------|------|------|
| कियास्क K-1,2 (02 नग) | 4.00 | 2.73 |
|-----------------------|------|------|

| | | |
|--|------------|-----------|
| दुकानें S-1 से 13 तक, 15,16,17 (16 नग) | 9.28-12.21 | 6.33-8.32 |
|--|------------|-----------|

इन्दिरा नगर योजना, रायबरेली

| | | |
|--|-------------|-----------|
| दुकानें S-2,3,5,6,9 से 19 तक, 22 (16 नग) | 12.34-14.46 | 7.27-8.90 |
|--|-------------|-----------|

पंचवटी योजना, सीतापुर

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| आफिस हॉल (2 नग) | 162.26 प्रति नग | 34.62 प्रति हॉल |
|-----------------|-----------------|-----------------|

प्रहलादपुरी योजना, हरदोई

| | | |
|---|------------|-----------|
| दुकानें S-1,2,3,4,5,6,7,14,15,19,20 (11 नग) | 9.54-10.76 | 7.34-8.64 |
|---|------------|-----------|

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

| सम्पत्ति श्रेणी व संख्या | संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में) | भवन का अनुमानित मूल्य (लाख में)/ भूमि दर प्र0व0मी0 में |
|--------------------------|--------|--------------------------------|--|
|--------------------------|--------|--------------------------------|--|

राजाजीपुरम योजना, लखनऊ

| | | | |
|---------------------------|---|--------|----------|
| आवासीय भूखण्ड D-346/2 GEN | 1 | 559.50 | 14336.00 |
|---------------------------|---|--------|----------|

| | | | |
|---------------------------|---|--------|----------|
| आवासीय भूखण्ड D-220/2 GEN | 1 | 304.46 | 14336.00 |
|---------------------------|---|--------|----------|

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|----------|
| आवासीय भूखण्ड (कार्नेर) D-564/1 SC | 1 | 406.22 | 15770.00 |
|------------------------------------|---|--------|----------|

शाहाबाद योजना, हरदोई

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---------|
| आवासीय भूखण्ड (कार्नेर) A-423 GEN | 1 | 388.62 | 4128.00 |
|-----------------------------------|---|--------|---------|

इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ, एफ-30 (जी+2) प्रकार के भवन

| | | | |
|------------------|---|-----------|------|
| 16/F-6 (F.F.) ST | 1 | F-30(G+2) | 5.67 |
|------------------|---|-----------|------|

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|
| 16/F-09 (S.F.) OBC (Displaced) | 1 | F-30(G+2) | 5.44 |
|--------------------------------|---|-----------|------|

| | | | |
|-------------------|---|-----------|------|
| 16/F-12 (S.F.) SC | 1 | F-30(G+2) | 5.44 |
|-------------------|---|-----------|------|

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|------|
| 16/F-13 (G.F.) SC (Displaced) | 1 | F-30(G+2) | 9.95 |
|-------------------------------|---|-----------|------|

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|------|
| 16/F-16 (G.F.) MP/MLA/FF | 1 | F-30(G+2) | 9.89 |
|--------------------------|---|-----------|------|

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|------|
| 16/F-17 (F.F.) GEN (Displaced) | 1 | F-30(G+2) | 5.67 |
|--------------------------------|---|-----------|------|

राज नगर योजना, लखीमपुर (लाटरी द्वारा आवंटन)

| | | | |
|--------------------------------|---|-------|------|
| अल्प आय वर्ग (29/60) सं0 - 394 | 1 | 60.59 | 5.51 |
|--------------------------------|---|-------|------|

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं
के निस्तारण के लिए
जन सुविधा केन्द्र
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा
अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक
कार्य दिवस में
प्रातः 10:00 बजे से
सायं 5:00 बजे तक
उपलब्ध है

डायल करें
1800-180-5333 (टोल-फ्री)
0522-2236803



(आई.एस.ओ. 9001 : 2001 प्रमाणित संस्था)
**उत्तर प्रदेश आवास एवं
विकास परिषद**
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website : http://www.upavp.com; Email : upavp@sancharnet.in

